(वाद सं0.-511/4/23/2020)

25.01.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, मंजु देवी के पति, स्व0 चन्देश्वर राम पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय महम्मदपुरखाज, प्रखंड–मड़वन, जिला–मुजफ्फरपुर के दिनांक–17.11.2016 को मृत्यु हो जाने के बाद भी अब तक सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), पटना** के प्रतिवेदनानुसार **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुजफ्फरपुर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन की मांग के उपरान्त परिवादी श्रीमती मंजु देवी, को उनके स्व0 पति चन्देश्वर राम के सभी अनुमान्य सेवान्त लाभो का भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि राज्य आयोग के आदश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) पटना,** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–36–31/प0), संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक